बिहार सरकार,

<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

दिनांक—08.07.2025

विषय— बिहार युवा आयोग का गठन।

युवाओं को प्रशिक्षित, स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम विकसित करने, उन्हें लागू करने तथा युवाओं के अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने, समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार करने, युवाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं की जांच करने और उनके विरुद्ध उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने या सुझाव देने, युवाओं को प्रभावित करने वाले कानून को लागू करने और समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया जाना समीचीन है। इसलिए 18 वर्ष से 45 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षित एवं स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम विकसित करने, उन्हें लागू करने, युवाओं के अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से एक राज्य युवा आयोग का गठन किये जाने की आवश्यकता है।

2. तदनुसार मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.07.2025 को आयोजित बैठक में मद संख्या—37 के रूप में स्वीकृति के आलोक में बिहार युवा आयोग का गठन निम्नवत् किया जाता हैः—

3. आयोग का गठन—

(i) बिहार युवा आयोग निम्नांकित को मिलाकर गठित होगाः—

(क) एक अध्यक्ष,

(ख) दो उपाध्यक्ष,

(ग) सदस्य, जिनकी संख्या सात से अधिक नहीं होंगी।

इन सदस्यों में से दो ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्होंने युवाओं के हित में काम किया हो या युवाओं की उन्नति या युवाओं के किसी स्वैच्छिक संगठन के नेतृत्व तथा युवाओं के सामान्य हितों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित कानून या प्रशासन में अनुभव प्राप्त किया हो।

(ii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(iii) सरकार आयोग के सचिव के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी जो राज्य की सिविल सेवा के अपर सचिव के पद से अन्यून स्तर का पदाधिकारी होगा।

(iv) **श्रेणी एवं प्रतिष्ठा–** इस आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सदस्यों की श्रेणी एवं प्रतिष्ठा बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुरूप होंगी अथवा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित किया जायेगा।

(v) **वेतन एवं भत्ते–** इस आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सदस्यों के वेतन एवं भत्ते बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुरूप होंगी अथवा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित किया जायेगा।

4. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें:–

(i) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति पदभार ग्रहण की तिथि से 03 वर्ष या 45 वर्ष की आयु– इनमें से जो पहले होगी–तक के लिए होगी।

(ii) कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपने पद की अवधि की समाप्ति पर, अधिकतम दो कार्यकालों के लिए उस पद पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(iii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को लिखित रूप से संबोधित करके किसी भी समय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(iv) राज्य सरकार द्वारा इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह –

(क) सक्षम न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो।

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध और कारावास से दण्डित किया जाता है, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता से संबंधित है।

(ग) विकृत चित्त का हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है।

(घ) कार्य करने से इंकार कर देता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

(ङ.) अनुमति प्राप्त किए बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है।

अथवा

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर बने रहना लोकहित में नहीं है।

(v) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाने, हटाए जाने या त्यागपत्र अथवा अन्य कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति रिक्त पद के विरूद्ध शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

(vi) राज्य सरकार आयोग में मानद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को भी नामित कर सकेगी।

(vii) आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारीः–

(क) राज्य सरकार आयोग को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो इस संकल्प के अधीन आयोग के कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हों।
(ख) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक और अन्य भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं। प्रतिनियुक्ति के मामले में राज्य सरकार के नियम लागू होंगे।

(viii) रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी। आयोग के किसी भी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा या उसे अमान्य नहीं किया जाएगा कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

(ix) **आयोग की समितियाँः–** (क) आयोग ऐसी समितियाँ गठित कर सकेगा जो समय–समय पर आयोग द्वारा उठाए जाने वाले विशेष मुद्दों के लिए आवश्यक हों।

(x) आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रियाः– (क) आयोग या उसकी कोई समिति, जब भी आवश्यक हो, कम से कम 3 महीने में एक बार बैठक करेगी तथा ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेंगे, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे। (ख) आयोग अपनी प्रक्रिया तथा अपनी समितियों की प्रक्रिया को विनियमित करेगा । (ग) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सचिव या इस संबंध में सचिव द्वारा विधिवत् प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

5. <u>आयोग की शक्तियाँ और कार्य:–</u>

(क) यह पर्यवेक्षण या निगरानी करना कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में वरीयता और प्राथमिकता मिले। आयोग राज्य के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों के साथ गठजोड़ करके युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए काम करेगा।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि राज्य के बाहर अध्ययन और काम करने वाले बिहार के युवाओं के हितों की रक्षा की जाए। आयोग एक साझा मंच होगा जहाँ वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

(ग) युवाओं के कल्याण और संरक्षण के लिए भारत के संविधान या किसी अन्य कानून या सरकार के किसी आदेश के तहत शोषण के विरुद्ध या अन्य रूपों में प्रदत्त विभिन्न सुरक्षात्मक प्रावधानों के कार्यकरण और प्रवर्तन की जांच करना तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

(घ) युवाओं में सामाजिक बुराइयों को बढ़ाने वाले शराब, मादक पदार्थों, तम्बाकू उत्पादों, अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थों के उपयोग और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें लागू करना तथा सम्मान के साथ कोई भी काम करने और आजीविका खोजने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए कदम उठाना और ऐसे मामलों में सरकार को आवश्यक अनुशंसा भेजना।

(ङ) युवाओं को बेहतर शिक्षा के अवसर और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय करना एवं परामर्श देना।

(च) युवाओं की क्षमता का विकास करते हुए उसका उपयोग करना ताकि वे पूर्ण सशक्तीकरण और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।

(छ) युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त करने के बेहतर तरीकों को सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए प्रचारात्मक और शैक्षिक अनुसंधान करना।

(ज) युवाओं, विशेषकर कमजोर वर्ग और जनजातीय वर्ग के युवाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में सरकार को सलाह देना।

(झ) सभी स्तरों की गतिविधियों में युवाओं की संभावनाओं का पता लगाना, ताकि उनकी रचनात्मकता और कौशल को विकसित करके उन्हें उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कराई जा सके।

(ञ) युवाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रावधानों से वंचित किए जाने की शिकायतों की जांच करना और प्रथम दृष्टया आश्वस्त होने पर स्वप्रेरणा से मामले को संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाना और कार्रवाई के लिए अनुशंसा करना।

(ट) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पॉलिटेक्निक आदि में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बिहार के युवाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सलाह देना।

(ठ) पंचायत खेल क्लबों एवं सक्रिय युवा क्लबों के माध्यम से जमीनी स्तर पर राज्य के युवाओं को संगठित करना और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) आदि जैसे युवा संगठनों की भागीदारी के माध्यम से सही प्रतिभा की पहचान करना।

(ड) कोई अन्य कार्य जो समय–समय पर आयोग को सौंपा जाय।

6. **आयोग के लक्ष्य समूह में शामिल होंगे–**

(क) राज्य के बाहर काम करने वाले और अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी।

(ख) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र।

(ग) डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र।

(घ) बेरोजगार युवा।

(ङ) आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र।

(च) युवाओं का कोई अन्य समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप हेतु योग्य समझें।

7. आयोग अपने कार्यों के सुचारू निर्वहन के संबंध में साक्षियों को बुलाने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की शक्तियाँ होंगी।

8. आयोग शिकायतों की जाँच करते समय सभी पक्षों को स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा।

9. आयोग इस संकल्प के अधीन किसी जाँच के निष्कर्षों को विवाद के पक्षों को समुचित कार्रवाई अथवा राहत के लिए अपनी सिफारिश राज्य सरकार को सम्प्रेषित करेगा।

10. <u>वित्त, लेखा और अंकेक्षण–</u>

(क) बिहार युवा आयोग को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जायगी।

(ख) इस आयोग के अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, बिहार/वित्त (अंकेक्षण), बिहार को होगा।

(ग) आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसपर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

आदेश–यह आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मो० सोहैल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–21/बि०यु०आ०–01/2025, सा०प्र०–**12457**/पटना–15, दिनांक–**08.07.2025.**

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (ई–गजट शाखा), पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार युवा आयोग, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, महादलित आयोग, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार सूचना आयोग, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, लोकायुक्त कार्यालय, पटना/अवर सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आप्त सचिव, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/आई०टी०मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।